

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 437

सोमवार, 5 फरवरी, 2024/16माघ, 1945 (शक)को उत्तर दिए जाने के लिए

राज्यों पर ऋण

437. श्री संजय काका पाटील:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों पर सरकार के ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) भविष्य में किसी भी राज्य के सरकार के ऋणी न रहने की संभावना पर जैसा कि चौदहवें वित्त आयोग में उल्लिखित है, सरकार द्वारा कराए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे संवैधानिक और/अथवा वैधानिक प्रावधान कौन से हैं, जिनके द्वारा सरकार ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों द्वारा उधार लिए जाने को विनियमित कर सकती है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की 'राज्य वित्त: वर्ष 2023-24 के बजट का एक अध्ययन' शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, भारत संघ के पास मार्च, 2022, मार्च, 2023 (सं.प्रा.) तथा मार्च, 2024 (ब.प्रा.) के अंत तक राज्य सरकारों की कुल बकाया देनदारियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। राज्य सरकारें भी भारत सरकार के राजकोषीय बिलों में निवेश करती हैं जिसे अल्पकालीन ऋण के रूप में माना जाता है। दिनांक 31.01.2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार राज्य सरकारों के राजकोषीय बिलों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। भविष्य में सरकार पर किसी भी राज्य के ऋणी न रहने की संभावना पर वित्त मंत्रालय द्वारा अब तक कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ग): व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय आम तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अधीन राज्यों द्वारा ऋणों के अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों द्वारा अधिदेशित राजकोषीय सीमाओं का पालन करता है। सभी राज्यों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्वों और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम को लागू किया है। राज्य एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन की निगरानी में संबंधित राज्यों के विधानमंडल द्वारा की जाती है। राज्यों के एफआरबीएम अधिनियम आम तौर पर राज्य सरकारों को राजस्व घाटे के उत्तरोत्तर उन्मूलन, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता तथा एक मध्यम अवधि की रूपरेखा में राजकोषीय नीति का संचालन करके राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में विवेक सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाते हैं।

\*\*\*\*\*

दिनांक 05.02.2024 के उत्तर के लिए लोक सभा लिखित प्रश्न सं.437 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित  
अनुबंध-1

मार्च, 2022, मार्च, 2023 (सं.प्रा.) और मार्च, 2024 (ब.प्रा.) के अंत तक राज्य सरकारों की कुल बकाया  
देनदारियों का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रु. में)

| राज्य          | 2022<br>(वास्तविक) | 2023<br>(सं.प्रा.) | 2024<br>(ब.प्रा.) |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| आंध्र प्रदेश   | 3,80,548.5         | 4,28,715.7         | 4,85,490.8        |
| अरुणाचल प्रदेश | 15,924.6           | 18,850.4           | 21,654.2          |
| असम            | 1,02,366.3         | 1,26,281.4         | 1,50,900.4        |
| बिहार          | 2,57,634.7         | 2,93,850.5         | 3,19,618.3        |
| छत्तीसगढ़      | 1,06,451.1         | 1,09,664.1         | 1,22,164.1        |
| गोवा           | 29,209.2           | 30,743.2           | 34,758.4          |
| गुजरात         | 3,88,582.8         | 4,21,018.2         | 4,67,464.4        |
| हरियाणा        | 2,79,453.3         | 3,05,586.9         | 3,36,253.0        |
| हिमाचल प्रदेश  | 73,541.4           | 86,639.2           | 94,992.2          |
| झारखंड         | 1,13,568.1         | 1,18,855.5         | 1,31,455.6        |
| कर्नाटक        | 5,03,987.7         | 5,35,408.1         | 5,97,618.4        |
| केरल           | 3,60,036.9         | 3,89,312.3         | 4,29,270.6        |
| मध्य प्रदेश    | 3,25,193.0         | 3,65,624.4         | 4,18,056.0        |
| महाराष्ट्र     | 6,06,407.1         | 6,53,197.0         | 7,22,887.3        |
| मणिपुर         | 15,334.0           | 17,376.4           | 19,245.8          |
| मेघालय         | 16,927.6           | 18,845.1           | 20,029.9          |
| मिजोरम         | 10,953.7           | 12,880.0           | 14,039.3          |
| नागालैंड       | 15,834.5           | 17,085.2           | 18,165.8          |
| ओडिशा          | 1,39,002.4         | 1,29,872.9         | 1,20,986.9        |
| पंजाब          | 2,84,923.2         | 3,16,346.1         | 3,51,130.2        |
| राजस्थान       | 4,63,832.8         | 4,99,529.0         | 5,62,494.9        |
| सिक्किम        | 11,482.2           | 13,331.4           | 15,529.5          |
| तमिलनाडु       | 6,67,974.9         | 7,41,497.7         | 8,34,543.5        |
| तेलंगाना       | 3,14,852.9         | 3,52,061.0         | 3,89,672.5        |
| त्रिपुरा       | 22,438.6           | 23,360.5           | 26,505.8          |
| उत्तर प्रदेश   | 6,46,321.3         | 6,93,577.1         | 7,69,245.3        |
| उत्तराखंड      | 78,952.1           | 80,120.4           | 89,466.0          |
| पश्चिम बंगाल   | 5,48,235.9         | 5,96,725.2         | 6,58,426.2        |

स्रोत: आरबीआई की 'राज्य वित्त: वर्ष 2022-23 के बजट का एक अध्ययन' शीर्षक वाली रिपोर्ट

दिनांक 05.02.2024 के उत्तर के लिए लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 437 के भाग (क) के उत्तर में  
संदर्भित अनुबंध-II

दिनांक 31.01.2024 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार राज्य सरकारों के  
राजकोषीय बिलों का विवरण

| क्र.सं. | खाते का नाम                       | 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय बिल | नीलामी राजकोषीय-बिल<br>(91/182/364 दिन) |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1       | आंध्रप्रदेश                       | 0.00                             | 0.00                                    |
| 2       | अरुणाचलप्रदेश                     | 4,746,71,00,000.00               | 2,000,00,00,000.00                      |
| 3       | असम                               | 2,589,38,00,000.00               | 0.00                                    |
| 4       | बिहार                             | 19,012,37,00,000.00              | 1,000,00,00,000.00                      |
| 5       | छत्तीसगढ़                         | 5,091,34,00,000.00               | 3,450,00,00,000.00                      |
| 6       | गोवा                              | 350,99,00,000.00                 | 0.00                                    |
| 7       | गुजरात                            | 18,442,10,00,000.00              | 10,500,00,00,000.00                     |
| 8       | हरियाणा                           | 2,878,40,00,000.00               | 0.00                                    |
| 9       | हिमाचलप्रदेश                      | 1,644,81,00,000.00               | 0.00                                    |
| 10      | जम्मू और कश्मीर                   | 0.00                             | 0.00                                    |
| 11      | जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र | 1,667,40,00,000.00               | 0.00                                    |
| 12      | झारखंड                            | 6,684,55,00,000.00               | 700,00,00,000.00                        |
| 13      | कर्नाटक                           | 45,583,21,00,000.00              | 25,909,21,00,000.00                     |
| 14      | केरल                              | 0.00                             | 0.00                                    |
| 15      | मध्यप्रदेश                        | 12,172,24,00,000.00              | 0.00                                    |
| 16      | महाराष्ट्र                        | 14,185,83,00,000.00              | 4,000,00,00,000.00                      |
| 17      | मणिपुर                            | 0.00                             | 0.00                                    |
| 18      | मेघालय                            | 232,32,00,000.00                 | 0.00                                    |
| 19      | मिजोरम                            | 31,73,00,000.00                  | 0.00                                    |
| 20      | नागालैंड                          | 284,55,00,000.00                 | 0.00                                    |
| 21      | ओडिशा                             | 9,637,08,00,000.00               | 17,262,00,00,000.00                     |
| 22      | पुदुचेरी                          | 355,35,00,000.00                 | 1,400,00,00,000.00                      |
| 23      | पंजाब                             | 0.00                             | 0.00                                    |
| 24      | राजस्थान                          | 0.00                             | 8,000,00,00,000.00                      |
| 25      | तमिलनाडु                          | 7,733,95,00,000.00               | 2,911,25,00,000.00                      |
| 26      | तेलंगाना                          | 0.00                             | 0.00                                    |
| 27      | त्रिपुरा                          | 1,932,77,00,000.00               | 225,00,00,000.00                        |
| 28      | उत्तर प्रदेश                      | 30,025,07,00,000.00              | 0.00                                    |
| 29      | उत्तराखंड                         | 109,83,00,000.00                 | 0.00                                    |
| 30      | पश्चिम बंगाल                      | 8,871,14,00,000.00               | 0.00                                    |
| कुल     |                                   | 1,94,263,12,00,000.00            | 77,357,46,00,000.00                     |